



ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

"जीवन के बाद भी सुरक्षा और सम्मान का वचन"

अन्नदाता कल्याण निधि योजना

परिचय (Introduction)

भारत के अन्नदाता किसान देश की रीढ़ हैं। उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने हेतु ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा अन्नदाता कल्याण निधि योजना शुरू की गई है। यह एक सामूहिक सहयोग आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत किसी किसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार (नॉमिनी) को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का उद्देश्य (Objectives)

- किसानों और उनके परिवार को मृत्यु के उपरांत आर्थिक सुरक्षा देना।
- आत्मनिर्भर भारत में किसान को केंद्र में लाना।
- किसानों को यह विश्वास दिलाना कि "खेती भी करोड़ों का संबल बन सकती है"।
- एक ऐसा भारत बनाना जहाँ किसान की मृत्यु के बाद भी परिवार (नॉमिनी) की गरिमा और जीविका सुरक्षित रहे।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

- ई-अन्नदाता कार्ड धारक हो
- आयु सीमा: 18 से 57 वर्ष
- व्यवसाय: किसान या किसान परिवार का सदस्य
- स्वास्थ्य: गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति को 2 वर्ष बाद ही पात्रता
- नॉमिनी: पंजीकरण के समय नॉमिनी देना अनिवार्य
- अपात्रता: आत्महत्या करने वाले को लाभ नहीं मिलेगा
- लाभ की अधिकतम आयु सीमा: 60 वर्ष तक

सदस्यता और शुल्क (Membership & Fees)

- पंजीकरण शुल्क: ₹100/- (केवल एक बार)
- त्रैमासिक सदस्यता शुल्क: ₹196/-
- भुगतान की समय-सीमा: हर तिमाही की 1 से 15 तारीख तक
- भुगतान माध्यम: www.eAnnadata.in, UPI, बैंक, ई-अन्नदाता केयर सेंटर

नियम: एक वर्ष की सतत सक्रिय सदस्यता के बाद ही लाभ की पात्रता प्राप्त होगी

यदि भुगतान समय पर न हो तो सदस्यता निष्क्रिय हो जाएगी और पुनः पंजीकरण अनिवार्य होगा परन्तु नए सदस्य के रूप में मान्य किये जायेंगे

आर्थिक सहायता (Benefit Payout)

- न्यूनतम सहायता राशि: ₹10 लाख
- अधिकतम सहायता राशि: ₹1 करोड़
- हर माह एकत्रित राशि में से 80% उसी माह मृत्यु हुए किसानों के नॉमिनी को DBT के माध्यम से भेजी जाएगी

मृत्यु के उपरांत प्रक्रिया (After-Death Procedure)

- सूचना: नामिनी या परिवार द्वारा स्थानीय सत्यापन समिति को 24-72 घंटे के अंदर सूचित करें
- दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो, बैंक खाता विवरण
- सत्यापन समिति: जिला स्तरीय किसान सत्यापन समिति
- पंचनामा: 5 किसान प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान/सरपंच, आवश्यकतानुसार लेखपाल, कृषि अधिकारी या पुलिस अधिकारी
- समयसीमा: अगले माह में भुगतान पूरा होना आवश्यक
- भुगतान: सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में DBT द्वारा

नॉमिनी संबंधी निर्देश (Nominee Guidelines)

- नॉमिनी का विवरण पंजीकरण के समय देना अनिवार्य है
- यदि नॉमिनी 18 वर्ष से कम हो तो भुगतान अभिभावक के माध्यम से किया जाएगा
- नॉमिनी के नाम का ही बैंक खाता होना चाहिए जो 6 माह पूर्व खुला हो

पंजीकरण के मान्य माध्यम (Registration Channels)

- ई-अन्नदाता केयर सेंटर (eAnnadata Care Center)
- अधिकृत रजिस्ट्रार के माध्यम से
- किसान स्वयं भी www.eAnnadata.in वेबसाइट पर सीधे पंजीकरण कर सकते हैं

सहयोगी संस्थान (Support Institution)

- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समर्थन
- राज्य सरकारों के कृषि एवं सामाजिक विभाग
- CSR माध्यम से कंपनियाँ
- स्वयंसेवी संगठन (NGOs)
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
- पंचायत स्तरीय समितियाँ

संपर्क एवं तकनीकी सहायता (Contact & Support)

- वेबसाइट: www.eAnnadata.in
- टोल फ्री नंबर: 1800-208-5254
- भुगतान माध्यम: UPI, बैंकिंग

प्रेरणात्मक संदेश (Inspirational Quotes)

"सरकारी नौकरी न सही, पर मैं किसान होकर अपने परिवार को करोड़ों की सुरक्षा दे सकता हूँ।"

"अन्नदाता केवल फसल नहीं उगाता, वह भविष्य की नींव रखता है।"

अंतिम संकल्प (Final Commitment)

"एक सुरक्षित किसान - एक समृद्ध भारत"

यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि किसानों को आत्मबल और गरिमा प्रदान करती है। आइए, इस ऐतिहासिक पहल को साकार करें।